

आधुनिक समाज में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा की ओर बढ़ते कदम

डा. नाहिद परवीण, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग,

वाई.एम.एस. पी.जी. कालिज मण्डी धनौरा अमरोहा उ.प्र. भारत।

प्राचीन काल से ही मुस्लिम महिला शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। इस्लाम में कुरआन तथा हदीस के अध्ययनों से पता चलता है कि अल्लाह ने मुस्लिम महिला तथा पुरुष दोनों को ही बराबरी का दर्जा दिया है तथा दोनों की ही शिक्षा को महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य बताया है। परन्तु पुरुष समाज महिलाओं को बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने के अयोग्य समझकर बहुत बड़ी ग़लती करता है। कुछ बंदिशों जैसे माता-पिता का अशिक्षित होने से बच्चों को भी पढ़ाई से रोकना, पर्दा-प्रथा, समाज का भय आदि के चलते लड़कियाँ दो-चार कक्षा पढ़ने के बाद ही बस्ते को विदा करके घर बैठ जाती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार मुस्लिम महिला साक्षरता दर काफी घटी है।

मध्यकाल से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तक प्राप्त आँकड़ों के अनुसार मुस्लिम महिला साक्षरता दर काफी घटी है। 1999 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 67% मुसलमान अशिक्षित है परन्तु 2011 के आँकड़ों के अनुसार भारत में मुस्लिम महिला साक्षरता दर 65.46% थी जबकि उत्तर प्रदेश में 59.62% रही है। आधुनिक समाज में जो परिवर्तन मुस्लिम महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में ला रही हैं उसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिये, तथा उन्हें आगे और आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार प्रेरित करना चाहिए।

**जलाकर इल्म की शम्मा इस जग को रौशन करना है।
ये जज़्बा अपनी कोशिश से जन-जन के दिल में भरना है।।**

आधुनिक समाज एक पेचीदा समाज है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की जागरूकता एक अनिवार्य शर्त है। यह जागरूकता उनमें शिक्षा के द्वारा ही पैदा हो सकती है। प्राचीन काल में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर काफी बल दिया गया है उन्हें शिक्षित करने के अनेक प्रयास किये गये हैं। कुरआन के अनुसार “मुस्लिम माता-पिता को अपनी पुत्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस्लाम पुरुष और महिला में भेद नहीं करता है। अल्लाह की नज़र में पुरुष तथा महिला को बराबरी का दर्जा हासिल है। माता-पिता को चाहिये कि वे अपनी पुत्रियों की शिक्षा के महत्त्व को समझें, तथा उन्हें ज्ञान प्राप्त करायें। क्योंकि महिला शिक्षा पुरुष शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है।”

हज़रत मुहम्मद साहब ने कहा है – “दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ दान है।” मुस्लिम एजुकेशन रिव्यू (1999) के सम्पादकीय ने इस्लामिक शिक्षा पद्धति को विश्लेषित करते हुए लिखा है कि इस्लाम में संस्थागत शिक्षा प्रणाली का शुभारम्भ “सुफ़ा नबवी” की स्थापना से हुआ था। यह सबसे पहला छात्रावास था, जिसके संस्थापक स्वयं पैगम्बर इस्लाम थे। यहाँ शिक्षण कार्य उनके स्वयं के द्वारा तथा अन्य असहाबियों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर मुख्य रूप से कुरआन व हदीस की शिक्षा दी जाती थी” (1) बेगम (1999) ने इस्लामिक शिक्षा के अध्ययन में पाया कि इस्लाम पुरुष तथा महिला दोनों को ही समान शिक्षा का समर्थक है। महिलाओं को भी इस्लाम में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। यदि दोनों जीवन साथी शिक्षित होंगे तो जीवन का आनंद भी अधिक होगा। शिक्षित महिला-पत्नी, माँ तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का उचित निर्वहन कर सकती है। एक हदीस के अनुसार – “पालने से लेकर क़ब्र तक ज्ञान प्राप्त करो।” (2) मुस्लिम पुरुष व महिला दोनों को ही ज्ञान की खोज करनी चाहिये। पुरुष अपने आप को महिला से श्रेष्ठ समझकर ग़लती करता है। वह दूसरी ग़लती तब करता है जब वह समझता है कि महिलायें बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने में अयोग्य हैं और इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उनका शोषण किया जाता है। सम्पूर्ण मुस्लिम सभ्यता के लिए महिला शिक्षा बहुत आवश्यक है। इस्लाम में इस हद तक मुस्लिम महिला शिक्षा पर ज़ोर दिया गया है। परन्तु

फिर भी मध्य काल से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तक "मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में काफी पिछड़ापन देखने को मिलता है। जो एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। सन् 1975 में भारत सरकार द्वारा "भारतीय महिला कमेटी" गठित की गयी थी। कमेटी के सर्वेक्षण के अनुसार मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा की प्रगति बहुत कम थी। "एकता कल्याण मंत्रालय 1985" की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुस्लिम महिलायें शिक्षा के क्षेत्र में निम्न स्तर पर हैं। नौमान (1999) ने एक अध्ययन (N.S.S.O.) नेशनल सैम्पिल सर्वे आर्गनाइजेशन में पाया कि भारतीय मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों में 51% मुसलमान अशिक्षित हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह 67% है। (03) मुस्लिम परिवारों की लड़कियों को बड़ी होने पर पर्दे में रहने को बाध्य होना पड़ता है। बंदिशों के चलते लड़कियाँ दो-चार कक्षा पढ़ने के बाद ही बस्ते को विदा कर घर बैठ जाती हैं। माता-पिता का मानना है कि यदि लड़कियों को अधिक पढ़ायेंगे तो उनकी शादी के लिए अधिक शिक्षित लड़कों की खोज करनी पड़ेगी। कुछ परिवारों में लड़कियों को एक आर्थिक परिसम्पत्ति के रूप में देखा जाता है। उनके लिए लड़कियों को स्कूल भेजना आर्थिक पक्ष को प्रभावित करने के समान होता है। गरीबी में कम आयु में ही लड़कियों को श्रम साध्य कार्यों में लगा देना आम बात है, क्योंकि गरीब परिवारों के सोपान में रोटी की व्यवस्था करना प्राथमिक लक्ष्य होता है और शिक्षा प्राप्त करना द्वितीयक। माता-पिता सोचते हैं कि यदि लड़की शिक्षा प्राप्त करने चली गयी तो मजदूरी जो वह कमाकर लायेगी उससे हाथ धोना पड़ेगा। लड़कियों को पराया धन समझने की सोच भी महिला शिक्षा पर निवेश को आर्थिक तौर पर बोझ मानती है। आज भी मुस्लिम पिछड़ी जातियों के एक बड़े वर्ग की मानसिकता इसी परम्परावादी सोच की परिचायक है। "ओ0आर0जी0 मार्ग मुस्लिम महिला सर्वेक्षण 2000-2001 में 12 राज्यों के 40 जिलों का अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार देश में 60% मुस्लिम महिलायें अशिक्षित थीं तथा छोटी बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन केवल 40.66% था।

2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला साक्षरता 59.62% थी। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 55.61% तथा नगरीय क्षेत्र में 71.68% रही। भारत में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता 65.46%

थी। जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 58.75% तथा नगरीय क्षेत्र में 79.92% रही है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि विश्व के बदलते परिदृश्य, आधुनिक समाज और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण मुस्लिम महिलायें अपने जीवन में परिवर्तन लाने के प्रसास कर रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुस्लिम समुदाय का नज़रिया बदल रहा है। आज संसार में तीन नारे गूँज रहे हैं – स्वतंत्रता, विकास एवं आधुनिकीकरण। वैज्ञानिक आविष्कार एवं खोजों ने मानव जीवन ही बदल दिया है। परिवर्तनों की गति समाज में इतनी तीव्र है कि आने वाले दो-तीन दशकों में समाज का नक्शा ही बदल जायेगा। मुस्लिम समुदाय की सोच अपनी लड़कियों के बारे में बदल रही है। वे भी शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अपनी बेटियों की शिक्षा के प्रति कुछ गम्भीर हो रहे हैं। उनको शिक्षा दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

सिकन्द (1998) ने बताया कि मुस्लिम महिला शिक्षा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्कूलों में मुस्लिम समुदाय का नामांकन प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। (4) अली (2003) के अनुसार मुस्लिम महिलायें इस बात का प्रयास कर रही हैं कि संसार के साथ उन्हें भी परिवर्तित होना चाहिये। वे आधुनिक समाज में अनुकूलन करना सीख रही हैं। शिक्षा के द्वारा ही मुस्लिम महिलाओं में परिवर्तन तथा जागरूकता आ रही है। उनका मानना है कि उन्हें पुरुषों के समान जीने का अधिकार है। इस्लामिक दृष्टि से प्रत्येक पुरुष तथा महिला के लिए ज्ञान एवं शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अपनी पहचान तथा अपनी उच्च स्थिति के प्रति अनभिज्ञ रहता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपने को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने पर गर्व महसूस कर सकता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति इस जटिल समाज में बहुत पीछे रह जाता है। यह एक महत्त्वपूर्ण सत्य है कि पुरुषों की शिक्षा में भी महिलाओं की विशेष भूमिका होती है, क्योंकि माँ की गोद ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। पश्चिम का प्रभाव भी मुस्लिम महिलाओं पर बहुत अधिक पड़ा रहा है। पाश्चात्य विचारों के प्रकाश में महिलायें समाज में अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रही हैं तथा यह महसूस कर रही हैं कि वे किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। शिक्षा के द्वारा परिवर्तन लाकर मुस्लिम महिलायें समाज में एक परिवर्तनकारी कारक के रूप में उभर रही हैं। मुस्लिम महिला शिक्षा आधुनिक समाज की आवश्यकता है। देश के अन्दर मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या को शिक्षा के सभी

साधनों का प्रयोग करना चाहिये। तथा अंधविश्वासो को तेजी से समाप्त करना चाहिये। उन्हें अपने अधिकार और उत्तरदायित्व जानने की अत्यन्त आवश्यकता है। मुस्लिम महिलाओं को सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रति

दिये गये अवसरों का लाभ उठाना चाहिये। यह समझना चाहिये कि मुस्लिम महिला शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अद्वितीय विनियोग होगा जिससे समुदाय और राष्ट्र का विकास होगा।

संदर्भ सूची

- (1) सम्पादकीय "मुस्लिम एजुकेशन रिव्यू", अक्टूबर पृ0 4
- (2) बेगम, शाहीन (1999), "व्हाई दिस जैण्डर डिस्क्रिमीनेशन ? "मुस्लिम एजुकेशन रिव्यू, अक्टूबर पृ0 17
- (3) नौमान, सैयद तनवीर (1999),"एजुकेशन बैकवर्डनेस ऑफ इण्डियन मुस्लिम्स",मुस्लिम एजुकेशन रिव्यू, अक्टूबर पृ0 24
- (4) सिकन्द योगिन्दर (1998),"मुस्लिम इम्प्रूवमेंट" न्यू स्ट्रिंग्स।